4

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या: **138/2025** (अपील सूचना का अधिकार)</u>

Roop Shankar Pareek, Add: Jadana, Rashmi, Chittorgarh, Raj.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 28/04/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329443627862121 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2616606276 दिनांक 28.08.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/138/25/906–07 दिनांक 28.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 249–51 दिनांक 11.09.2025 से प्रभारी अधिकारी जिला पुल अनुभाग को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने हेतु लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 258–59 दिनांक 16.09.2025 से न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) जिला पूल उदयपुर के अधीनस्थ समस्त राजकीय वाहनों की लॉग बुक तथा उक्त समस्त वाहनों में किए गए मरम्मत एवं ईंधन व्यय के बिलों का विवरण के संबंध में सूचना चाही गई है। प्रकरण के अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि मांगी गई सूचना अत्यधिक विस्तृत एवं विभिन्न कार्यालयों में संधारित अभिलेखों से संबंधित है, जिनका संकलन कर उपलब्ध कराना नवीन अभिलेख तैयार करने के समान है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। साथ ही, राजकीय वाहनों की लॉग बुक, आवागमन विवरण से संबंधित सूचनाएँ संवेदनशील क्षेत्रों के दौरे, कानून व्यवस्था तथा विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन व उनकी सुरक्षा से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार अधिनियम के उद्देश्य के मध्येनजर चाही गई सूचनाओं में उत्पादकता का कोई तत्व विद्यमान नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बिना किसी सार्थक

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर

RajKaj Ref No.:
21846217
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.04.28 13:13:38 IST
Reason: Approved

...य के अत्यधिक एवं व्यापक सूचना की मांग करना लोक प्राधिकरण के सीमित संसाधनों के विपरित है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किस प्रकार व्यापक लोक हित में है इसका भी अपीलार्थी द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार की सूचना का व्यापक प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(a) एवं धारा 8(1)(e) के अंतर्गत भी अपवर्जित है।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील के संबंध में राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई जिसे आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.04.28 13:13:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21846217
M e-Sign